

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2019 नामान्तरकरण अपील

1. सतीश कुमार पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झूपड़्या राजावतान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. सुभाष पुत्र स्व. बाबूलाल } जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झूपड़्या राजावतान
3. अनोखी पुत्री स्व. बाबूलाल } तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोजेन्ट्स

(अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 79 दिनांक 09.10.2001 द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा )

- उपस्थिति :-
1. श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित ।
  2. श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं. 2 लगा. 3 उपस्थित।


—: निर्णय :-

दिनांक: 26.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम झूपड़्या राजावतान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 22 रकबा 0.01 है., खसरा नं. 23 रकबा 1.31 है., खसरा नं. 25 रकबा 0.01 है., कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 है. के हिस्सा 1/4 के खातेदार स्व. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द थे। जिनके देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण सं. 79 दिनांक 09.10.2001 को पटवारी हल्का द्वारा भर कर तस्दीक करवा लिया गया। जिसकी अपीलांत को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्त के पति स्व. श्री बाबूलाल की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण खोला गया। उसमें अपीलान्त का नाम सतीश कुमार की जगह सत्यप्रकाश दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का व तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलान्त के बिना पहचान के दस्तावेज एवं बिना अपीलान्त से पूछताछ किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें अपीलान्त का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्त की पहचान के समस्त दस्तावेजात एवं शैक्षणिक रिकॉर्ड सतीश कुमार के नाम से ही बने हुए हैं उसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त का नाम उक्त नामान्तरकरण में गलत दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 09.10.2001 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 79 में अपीलान्त का नाम सत्यप्रकाश की जगह सतीश कुमार दर्ज किये जाने हेतु अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट्स की गयी। अधिवक्ता अपीलान्त व अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट्स की बहस सुनी गई।



  
अति. जिला कलेक्टर  
दौसा



अधिवक्ता अपीलांत द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्त के पति स्व. श्री बाबूलाल की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण खोला गया। तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरकरण अपीलान्त के बिना पहचान के दस्तावेज एवं बिना अपीलान्त से पूछताछ किये ही तस्दीक किया गया है। जिसमें अपीलान्त का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्त के समस्त दस्तावेज सतीश कुमार के नाम से ही बने हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की मजमे आम की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिवत व कानून जांच करके नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 79 दिनांक 09.10.2001 में अपीलान्त का नाम सत्यप्रकाश की जगह सतीश कुमार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

जवाब बहस में स्व. श्री बाबूलाल के वारिसान रेस्पोजेन्ट सं. 2 एवं 3 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि हमें अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत रेस्पोजेन्ट सं. 2 लगा. 3 द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 व धारा 51 सीपीसी प्रस्तुत कर मृतक स्व. श्री बाबूलाल के वारिसान सुभाष पुत्र स्व. जगदीश एवं अनोखी पुत्री स्व. जगदीश को भी बतौर रेस्पोजेन्ट 2 लगा. 3 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं उक्त सभी रेस्पोजेन्ट्स को अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त्स स्वीकार की जाकर नामा. 79 दिनांक 09.10.2001 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा

(लोकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा  
दौसा

